229वें सत्र से संबंधित समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

राज्य सभा का 229वां सत्र, जो कि 5 अगस्त, 2013 को आरंभ हुआ था, एक सप्ताह के विस्तार के पश्चात् आज समाप्त हो रहा है। सभा के नेता और प्रधान मंत्री सहित असम, तमिलनाडु और कर्णाटक राज्यों के नौ सदस्य, जो कि निर्वाचित हुए या पुनर्निर्वाचित हुए, का स्वागत किया गया। इक्कीस बैठकों में पर्याप्त विधान कार्य, विस्तृत चर्चा के साथ किया गया। शांति और आक्रोश के अवसर आए, सूचीबद्ध कार्य को करने के लिए सभा के सभी वर्गों का सहयोग ध्यान देने योग्य था। सरकार ने कुल 17 विधेयक पुर:स्थापित किए, 18 विधेयक पारित किए गए। विधायी कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी किए गए जिनमें 83 अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय, 164 विशेष उल्लेख, 3 अल्पकालिक चर्चा और 1 ध्यानाकर्षण शामिल हैं। गैर-सरकारी सदस्यों को दो संकल्पों पर चर्चा करने का अवसर मिला। प्रश्नकाल संकट में ही बना रहा। यह निर्धारित 14 दिनों में से केवल 6 दिन ही चल पाया। 300 तारांकित प्रश्नों में से केवल 28 का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया जबकि लगभग 2,300 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर दिये गये। निर्धारित समय के लगभग 40 घंटे व्यवधान के कारण बर्बाद हो गए। सभा द्वारा प्रक्रिया संबंधी नियमों तथा शिष्टाचार के मानदंडों का सामूहिक रूप से पालन किए जाने का अधिकाधिक प्रयास किया गया। इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। मैंने महासचिव से इस सत्र से संबंधित सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा है। मैं इस अवसर पर सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा माननीय सदस्यों द्वारा सभा के संपूर्ण कार्यकरण में उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उपसभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल में शामिल सदस्यों तथा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दी गई सहायता और सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।